# मूल अधिकार

भारत में मूल अधिकारों की मांग समय-समय पर उठती रही है मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 में की गई थी इसके अलावा 1917-1919 में कांग्रेस द्वारा 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा) 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1930 के कराची अधिवेशन में और गांधी जी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान की गई थी|

संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया जिसमें 54 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे|इसके साथ ही एक उप समिति का भी गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे इन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए |

भारतीय संविधान के भाग-3 में भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद 12-23 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गयी इसे भारत का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है | भारत में संदर्भित मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं |भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक अपना चहुमुखी विकास कर सकें| मूल रूप से संविधान ने 7 अधिकार प्रदान किए थे -

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनुच्छेद 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को केवल 6 मूल अधिकार ही प्राप्त है |

## महत्वपूर्ण तथ्य

- संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए मान्य है चाहे वे विदेशी नागरिक हो भारतीय नागरिक |
- मौलिक अधिकार न्याय योग्य है अर्थात अगर किन्ही परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चम न्यायालय की शरण में जा सकता है |
- अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है |

- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है |
- कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है | अनुच्छेद 358 तथा 359 द्वारा अनुच्छेद 20 और 21के अंतर्गत प्रदत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से जबकि अनुच्छेद 369 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं इसके निलंबन के लिए कोई अलग से आदेश पारित नहीं किया जाता | राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर अनुच्छेद 19 पुनः प्रवर्तन में आ जाता है | अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल 6 मूल अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता |

| **केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार** | **भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (शत्रु देश के व्यक्तियों को छोड़कर)** |
|---|---|
| केवल धर्म जाति मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध (अनुच्छेद 15) | विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 14) |
| लोक नियोजन में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) | दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) |
| वाक स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन अबाध विचरण एवं निवास वृत्ति तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता( अनुच्छेद 19) | प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) |
| अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29) | शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 (क)) |
| अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 30) | गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22) |
| | बलात श्रम एवं मानव व्यापार के विरुद्ध निषेध(अनुच्छेद 23) |
| | खानों एवं कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24) |
| | धर्म और उपासना की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) |
| | धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26) |
| | धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करो से छूट (अनुच्छेद 27) |
| | विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने संबंधी स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28) |

**समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)**

**विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)=** अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा सभी पर एक समान तरीके से लागू होगा |

**धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)=** इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के द्वारा धर्म,मूल,वंश,जाति और जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा | राज्य के द्वारा सार्वजनिक भोजनालयओं, होटलों, दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों और राज्य निधि से पोषित तथा जनसाधारण के प्रयोग के लिए समर्पित स्नानघरों, तालाब आदि सभी नागरिकों के स्वतंत्र प्रयोग के लिए है |

लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है |

आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे पिछड़ा वर्ग,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लोकसभा एवं विधान मंडल में सीटों का आरक्षण प्रदान करना साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसके अंतर्गत आते हैं |

शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसके अपवाद स्वरूप है साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था का आयोजन जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं |

**लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)=** राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी राज्य नियोजन के संदर्भ में किसी के साथ जाति, लिंग, जन्मस्थान या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा नियुक्ति का आधार केवल पद के लिए निर्धारित योग्यता ही होगी |

**अपवाद** राज्य नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिसका राज्य में उचित प्रतिनिधित्व ना हो |

- राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकती है

**अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)=** सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर (उपाधियों का अंत) अनुच्छेद 18 के तहत निषेध कर दिया गया है| सेना और विद्या से संबंधित सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा |

**स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद (19-22)=** अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत कुल छह अधिकार प्रदान किए गए हैं प्रारंभ में इसके अंतर्गत 7 तरह की स्वतंत्रता ओं का उल्लेख किया गया था लेकिन 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 (च) में दिए गए संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है अब यह अनुच्छेद 300(क) के अंतर्गत केवल कानूनी अधिकार है |

वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 1(क) = अनुच्छेद 19 1(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया है -

- प्रेस की स्वतंत्रता
- वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता
- विचारों को प्रसारित   करने की स्वतंत्रता
- फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार
- चुप रहने का अधिकार( राष्ट्रगान के मामले में)
- मतदाता को सूचना प्राप्त  करने  का  का अधिकार
- सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार
- प्रदर्शन एवं धरने का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं

19 1(ख)शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता

19 1(ग) संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता

19 1(घ)भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता

19 1(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता

19 1(छ) कोई वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

**अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)=** इस  अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्तियों को तीन प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं

अनुच्छेद 20 (1) के अंतर्गत व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय की कानून व्यवस्था के अनुसार ही उसे दंड दिया जाएगा न की बाद में या पहले बनने वाले कानून  के अनुसार|

अनुच्छेद 20 (2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी |

अनुच्छेद 20(3) किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा |

**प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता  का संरक्षण (अनुच्छेद 21)=** यह स्वतंत्रता भारत में रहने वाले सभी निवासियों अर्थात नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं | व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब इसके लिए कोई विधिक  उपबंध किया गया हो |

मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा विदेश भ्रमण के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित किया गया | समय-समय पर उच्चतम  न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप बहुत से अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्गत समाहित होते चले गये जिनमें से कुछ का विवरण निम्नलिखित है -

1. निजता का अधिकार
2. नीति सम्मत जीविकोपार्जन का अधिकार
3. निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार
4. चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार
5. शिक्षा पाने का अधिकार
6. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
7. निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार
8. जीवन रक्षा का अधिकार
9. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
10. रात्रि में शयन का अधिकार
11. पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार
12. अवसर का अधिकार
13. ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
14. देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार
15. सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज का अधिकार
16. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
17. सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
18. शीघ्र सुनवाई का अधिकार
19. सम्मान से मरने का अधिकार
20. पारिवारिक पेंशन का अधिकार
21. नि:शुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार
22. प्रदूषण रहित पीने का जल प्राप्त करने का अधिकार
23. बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार
24. अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
25. अच्छे पर्यावरण का अधिकार
26. अच्छी सड़कों का अधिकार

**प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21(क))=** आरंभ में संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया था लेकिन 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के मूल अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया | इसके साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51(क) में भी एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का निर्देश दिया गया | यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में प्रभावी हुआ |

**कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)=** अनुच्छेद 22 के द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है | अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं पहला भाग साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है और दूसरा निवारक निरोध विधि से संबंधित है |

अनुच्छेद 22 का प्रथम (खंड 1 और खंड 2):- प्रथम भाग के अंतर्गत जिसमें व्यक्ति को साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है

- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
- अपनी रुचि या पसंद के अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव प्राप्त करने का अधिकार
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार

अनुच्छेद 22(3) के अनुसार उपयुक्त अधिकार विदेशी नागरिकों अंतर्देशीय शत्रु और निवारक निरोध विधि के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है |

अनुच्छेद 22 का द्वितीय भाग ( खंड 4 से 7 ):- द्वितीय भाग निवारक निरोध विधि के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है यह अधिकार भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है |

- निवारक निरोध विधि के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे के द्वारा उचित आधार पर ऐसा करने के लिए आदेशित ना किया जाए |
- गिरफ्तारी का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए लेकिन लोकहित के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है |
- व्यक्ति को गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा |

निवारक निरोध विधियां कानून जिन्हें संसद के द्वारा समय-समय पर बनाया गया

- **निवारक निरोध अधिनियम 1950=** 26 फरवरी 1950 को भारतीय संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था जो 31 दिसंबर 1969 में समाप्त हो गया |
- **आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मिसा- Maintenance of Internal Security Act)1971=** 7 मई 1971 को यह अधिनियम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू किया गया जिसे जून 1971 में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया 44 वें संविधान संशोधन के कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया |
- **विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम (COFEPOSA) 1974=** 19 दिसंबर 1974 से लागू हुआ पहले हिरासत की अवधि 1 वर्ष थी लेकिन 13 जुलाई 1984 में एक अध्यादेश के द्वारा इसकी अवधि 2 वर्ष कर दी गई है |
- **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) 1980=** इसका लोकप्रिय नाम रासुका है| यह अधिनियम 1980 में एक अध्यादेश के द्वारा लाया गया | जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य सभी राज्यों में यह लागू किया गया था 1981 में इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था तथा जून 1984 में इसमें कुछ संशोधन किए गए |
- **चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु अधिनियम (PBMSECA)1980**

- **आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक अधिनियम (TADA-Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) 1985=** 23 मई 1995 को यह कानून समाप्त हो गया निवारक निरोध कानूनों में यह सर्वाधिक कठोर कानून था |

- **आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act) 2002=** 2 अप्रैल 2002 को अस्तित्व में आया तथा 31 सितंबर 2004 को एक अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया |

- **गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 1967=** 21 सितंबर 2004 को कुछ संशोधनों के साथ इसे फिर से लागू किया गया| 31 दिसंबर 2008,2012 तथा 2019 में इसमें संशोधन किए गए |

**शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)=** शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार बलात श्रम और अनुच्छेद 24 के द्वारा खानों और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है |

**बलात श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)=** यह अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है इसके अंतर्गत मानव दूव्यापार बेगार और बलात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा मानव व्यापार के अंतर्गत स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की वस्तु के सामान खरीद फरोख्त ,दास प्रथा , बंधुआ मजदूरी ,देवदासी प्रथा ,महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार,एवं वेश्यावृत्ति सम्मिलित है इस तरह के कार्यों को दंडित करने के लिए संसद के द्वारा समय-समय पर कई नियम और अधिनियम पारित किए गए हैं जैसे

अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956

,बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

ठेका श्रमिक अधिनियम 1970

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986

**कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24=** यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों, कारखानों तथा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्यों में नियोजन का निषेध करता है | इसका आशय कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा उनको शोषण से बचाना है इस संदर्भ में देश के द्वारा समय-समय पर कई अधिनियम पारित किए गए हैं-

- **बालक नियोजन अधिनियम 1938**
- **भारतीय कारखाना अधिनियम 1948**
- **बागान श्रम अधिनियम 1951**
- **खान अधिनियम 1952**
- **वाणिज्य परिवहन अधिनियम 1958**

- **मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961**
- **प्रशिक्षु अधिनियम 1961**
- **बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966**
- **शिशु अधिनियम 1966**
- **बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम) 1986=** इस अधिनियम के द्वारा होटलों,घरों,खतरनाक व्यवसायों में सूचीबद्ध 13 व्यवसायों में से किसी भी व्यवसाय में 5 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है| इसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक कारावास की सजा या 10000 से 20000 तक का अर्थदंड या दोनों ही दंड स्वरूप दिए जा सकते हैं

- बच्चों के पुनरुत्थान एवं कल्याण हेतु बाल पुनर्वास कोष एवं बाल आयोग का भी गठन किया गया है

**धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)=** अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं वह चाहे भारतीय हो या विदेशी | इसके अंतर्गत नागरिकों को विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है | अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार, अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करो से छूट का अधिकार, अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है|

**अनुच्छेद 25=** यह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है धर्म का आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है |

अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दो व्याख्या की गई हैं **प्रथम व्याख्या** के अंतर्गत सिखों का कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना धार्मिक आचरण और स्वतंत्रता का अंग माना गया है और **दूसरी व्याख्या** में हिंदुओं में सिख जैन और बौद्धों को भी सम्मिलित किया गया है |

**( नोट:-** अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा रोक लगा सकती है **|)**

**धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)=** इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को अपने धर्म के प्रसार लिए संस्थाओं का निर्माण करने, उसका पोषण करने, उसके लिए विधि सम्मत आय अर्जित करने और उसके प्रशासन व स्वामित्व का अधिकार होगा |

**धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर्ज से मुक्ति (अनुच्छेद 27)=** इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किया जाए |

**अनुच्छेद 28=** इसके अंतर्गत पूर्णत: राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा लेने या उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी भी विद्यार्थी को विवश नहीं किया जा सकता |

**संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)=** अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन के अधिकार से संबंधित है |

**अनुच्छेद 29**= अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी नागरिक को अपनी बोली, भाषा,संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है|

राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा अर्थात उनके बीच उपर्युक्त में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा |

**शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 30)=** अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म और भाषा पर आधारित अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है| इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार के साथ ही प्रबंध समिति के गठन, शिक्षण का माध्यम निश्चित करने तथा शैक्षणिक व प्रशासनिक नीति के निर्धारण का अधिकार भी प्राप्त है |

**अनुच्छेद 30(2)** के अनुसार राज्य शिक्षण संस्थान को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा की उसकी स्थापना और प्रबंधन अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा की जाती है|

अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक सत्र का निर्धारण, शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण, अकादमी अहर्ताओं का निर्धारण आदि में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा |

**अनुच्छेद 31=** संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित था जिसे 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया अब इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क (भाग 12) में स्थान दिया गया है अब यह एक कानूनी अधिकार मात्र है और अगर इस अधिनियम का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता |

प्रथम संविधान संसोधन 1951 के द्वारा संविधान में 31(क),31(ख) और अनुसूची 9 जोड़े गये इसका उद्देश्य भूमि सुधार नियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था अनुच्छेद 31(क) संपत्तियों के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से, अनुच्छेद 31(ख) कुछ अधिनियम एवं विनियमों के विधिमान्यकरण से संबंधित है और अनुसूची 9 के अंतर्गत इसमें शामिल अधिनियम एवं विनियम को संरक्षण प्रदान किया गया है |

**संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)=** अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है डॉ. भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी गई है |इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति इसके अंतर्गत प्रदान की गई है |

अनुच्छेद 32 के चार खंड है| **खंड 1** मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार देता है **खंड 2** मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है **खंड 3** के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली वाली कुछ शक्तियों या समस्त शक्तियों को अपने स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में प्रयोग हेतु दे सकती है **खंड 4** मूल अधिकारों को लागू करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करती है अर्थात राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे स्थगित तो कर सकता है लेकिन निलंबित नहीं कर सकता |

**अनुच्छेद 32 (2)** के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं-

**बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)**

**परमादेश (Mandamus)**

**प्रतिषेध (Prohibition)**

**उत्प्रेषण (Certiorari)**

**अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)**

**बंदी प्रत्यक्षीकरण**= यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए | यह रिट ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया हो, इसमें न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है और उसको गिरफ्तार किए जाने के कारणों की जांच करता है गिरफ्तारी का कारण उचित ना होने पर या अवैध होने पर व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी किया जाता है रिट हेतु याचिका गिरफ्तार व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है |

**परमादेश**= इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं इस रिट का प्रयोग ऐसे पदाधिकारियों को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करने से इनकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है |

यह रिट भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती |

**प्रतिषेध**= इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना | यहरिट उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वह किसी मामले की कार्यवाही अपने यहां ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है |

प्रतिषेध रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं| यह लेख विधायी निकायों, निजी व्यक्ति या प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किए जा सकते |यह लेख उसी स्थिति में जारी किए जाते हैं जब कार्यवाही किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष लंबित हो |

**उत्प्रेषण**= इसका शाब्दिक अर्थ है सूचना देना या मंगवा लेना यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों न्यायिक,अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को सीधे या पत्र द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को स्थानांतरित करें यह लेख अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य, न्याय के उल्लंघन, निर्णय में वैधानिक भूल आदि के आधार पर जारी की जाती हैं |

प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं प्रतिषेध लेख कार्यवाही को रोकने के लिए जबकि उत्प्रेषण लेख कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किए जाते हैं |

उत्प्रेषण रिट विधायिका,कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किए जा सकते |

**अधिकार पृच्छा=** इसका शाब्दिक अर्थ है वारंट द्वारा, इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति कोई लोकपद धारण करता है लेकिन वह उस पद के योग्य या उसका वैधानिक हकदार नहीं है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछती है कि उसने किस अधिकार के तहत उस पद को धारण किया है अगर उसका उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो उसे तत्काल उस पद को त्याग करने के लिए कहा जाता है |

अधिकार प्रचार रिट जारी करने के लिए पद की प्रकृति सार्वजनिक या लोक पद की होनी चाहिए किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ यह रिट जारी नहीं की जा सकती |

**अनुच्छेद 33**=यह अनुच्छेद संसद को कुछ विशिष्ट वर्गों जैसे सैन्य बल, पुलिस बल, आसूचना अभिकरण जैसे संगठनों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार प्रदान करती है |

अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है राज्य विधान मंडलों को नहीं |

**अनुच्छेद 34**= यह अनुच्छेद भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने और उस पर संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति से संबंधित है | इसके अनुसार जब देश के किसी भाग में सेना विधि घोषित हो और किसी सरकारी कर्मचारी या निजी व्यक्ति द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जो न्याय संगत नहीं है तो संसद विधि द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अधिनियम निर्मित कर सकेगी और इस दौरान सेना विधि के अधीन पारित कार्यों को संसद विधिमान्य घोषित कर सकती है |

**अनुच्छेद 35=** यह अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि भाग 3 के अंतर्गत उल्लिखित अनुच्छेद 16(3), 32(3),33 और 34 में विहित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी राज्य विधान मंडलों को नहीं |

संबंधित विषय कि प्रश्नोत्तरी Download करने के लिए नीचे दिए गये Link पर Click करें |

**मौलिक अधिकार (PDF)**